न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), लखीमपुर–खीरी।

<u>सिविल अपील सं0–05/2022</u>

यू0पी0एल0पी0 UPLP 01000386 2022

माया बेगम बनाम बरकत अली आदि

<u>06.03.2026</u>

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है।

उभयपक्ष की ओर से सुलहनामा 27क1 प्रस्तुत कर अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं0–1 व 2 जो मूल वाद में वादी हैं, को यह स्वीकार है कि स्व० रसूल अहमद व श्रीमती खातून द्वारा जो वसीयत दिनांक 29.09.1998 को निष्पादित की गयी थी, वह सही है। प्रत्यर्थी सं0–1 व 2 उस वसीयत को रसूल अहमद की मृत्यु के बाद अपनी सहमति प्रदान करते हैं। वाद पत्र में वर्णित बयनामा दिनांकित 19.12.2006 जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय लखीमपुर जिला–खीरी में बही सं0–1 जिल्द सं0–4085 के पृष्ठ–133 से 156 तक क्रमांक–11766 पर दिनांक 19.12.2006 को हुआ है, सही है तथा इस बयनामें के आधार पर बयनामें में वर्णित सम्पत्ति की प्रतिवादी सं0–1 जो अपीलार्थिनी है, स्वामी, काबिज है। विवादित सम्पत्ति स्थित मो0 हिदायतनगर शहर लखीमपुर परगना व जिला–खीरी जिसके पूरब व पश्चिम में रास्ता, उत्तर में मकान श्याम व दक्षिण में मकान भरत है, से प्रत्यर्थी सं0–1 व 2 का कोई वास्ता व सरोकार नही है। इस मकान की स्वामी, काबिज प्रतिवादी सं0–1/अपीलार्थिनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेश एवं आज्ञप्ति दिनांकित 17.12.2021 निरस्त कर दिया जाये तथा वादी द्वारा दायर मूल वाद खारिज कर दिया जाये, इसमें प्रत्यर्थी सं0–1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। प्रत्यर्थी सं0–3 व 4 मूल वाद में प्रतिवादी थे तथा वे औपचारिक पक्षकार हैं। वे स्वयं बयनामा कर चुके हैं, उनका कोई हित निहित नही है। खर्चा मुकदमा दोनों पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे। अतः सुलहनामा प्रस्तुत है और सुलहनामें के आधार पर अपील स्वीकार कर ली जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, आदेश एवं आज्ञप्ति दिनांकित 17.12.2021 खारिज कर मूल वाद सं0–53/2007 निरस्त कर दिया जाये।

उभयपक्ष की ओर से सुलहनामा 28क1 अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत कर अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं0–3 व 4 यह स्वीकार करते हैं कि वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति के 1/2 भाग के स्वामी रसूल अहमद व

1/2 भाग की स्वामी श्रीमती खातून थी। प्रत्यर्थी सं0–3 व 4 यह भी स्वीकार करते हैं कि रसूल अहमद व माया बेगम ने जो वसीयत की थी, उस वसीयत को उनकी मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी सं0–4 परवीन जो रसूल अहमद की पुत्री है तथा रसूल अहमद के सभी पुत्रों व पुत्रियों ने सहमति प्रदान की थी तथा उसे स्वीकार किया था। रसूल अहमद की मृत्यु के बाद वसीयत को सहमति प्रदान करने के बाद वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी प्रत्यर्थी सं0–3 व 4 व श्रीमती खातून हो गयी थीं तथा श्रीमती खातून व प्रत्यर्थी सं0–3 व 4 ने उपरोक्त सम्पत्ति पंजीकृत बयनामें के द्वारा अपीलार्थिनी माया बेगम को बेंच दी थी और माया बेगम उस पर काबिज हैं। प्रत्यर्थी परवीन, रसूल अहमद की पुत्री है तथा प्रत्यर्थी चांद बीबी, रसूल अहमद की पुत्री की पुत्री है। प्रत्यर्थी सं०–3 व 4 का कोई हिस्सा विवादित सम्पत्ति में नही है और उन्हें बयनामें पर कोई आपत्ति नही है। बरकत अली व रहमत अली ने जो दावा दायर किया था, उसमें प्रत्यर्थी सं०–3 व 4 ने अपीलार्थिनी के पक्ष में हुये बयनामें को स्वीकार किया था। प्रस्तुत सुलहनामा स्वीकार कर लिया जाए जिसमें प्रार्थीगण की कोई आपत्ति नहीं है। इसमें प्रार्थी सं0–3 व 4 को कोई आपत्ति नही है। अतः सुलहनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि सुलहनामे के आधार पर अपील स्वीकार कर ली जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, आदेश एवं आज्ञप्ति दिनांकित 17.12.2021 खारिज कर मूल वाद सं0–53/2007 निरस्त कर दिया जाये।

मेरे द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी माया बेगम व प्रत्यर्थीगण बरकत अली आदि के द्वारा सुलहनामा 27क व 28क प्रस्तुत किया गया।

सुलहनामा कागज सं0–27क/1 अपीलार्थी माया देवी के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सक्सेना के द्वारा की गयी तथा प्रत्यर्थीगण रहमत अली, हाजरून, शमशाद अली, नौशाद अली, शहनवाज, मो0 मुन्ना, सूफिया, आसिया की फोटो की पहचान व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आकिब खान द्वारा की गयी।

सुलहनामा कागज सं0–28क/1 में अपीलार्थी माया देवी के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सक्सेना के द्वारा की गयी तथा प्रत्यर्थीगण चांद बीबी व परवीन के फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद द्वारा की गयी।

सुलहनामा 27क/1 व 28क/1 की शर्तों को खुले न्यायालय में पढ़कर पक्षकारों को सुनाया व समझाया गया। सुलहनामा की शर्तों को पक्षकारोगण द्वारा खुले न्यायालय में स्वीकार किया गया तथा पक्षकारों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा सुलह बिना किसी जोर दबाब के बिना असम्यक

असर के स्वीकार किया गया है। सुलहनामा पक्षकारों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में तस्दीक किया गया।

क्योंकि सुलहनामा पक्षकारों द्वारा स्वतन्त्र सहमति से सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव के किया गया है तथा सुलहनामा की शर्तें विधि विरूद्ध नहीं है। अतः अपील, अपील सं0–05/2022 सुलहनामा कागज सं0–27क/1 व 28क/1 के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपील, अपील सं0–05/2022, सुलहनामा कागज सं0–27क/1 व 28क/1 के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा कागज सं0–27क/1 व 28क/1 डिक्री का अंश होगा। सुलहनामा के पक्षकारों के अलावा अन्य किसी पक्ष पर उक्त सुलहनामा कागज सं0–27क/1 व 28क/1 प्रभावी नहीं होगा। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।

दिनांकः 06.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
J.O.Code.U.P.-6470

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 06.03.2026

(रेनू सिंह)
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
J.O.Code.U.P.-6470